आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर मुख्य आरक्षी ना0पु0/112642642 देवेन्द कुमार को प्रशासनिक आधार पर जनपद शामली से जनपद लखीमपुर खीरी तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के **कार्यवृत्त सूची संख्याःएएसपी–(ई–1)–(प्रशासनिक)–600/2026 दिनांक 11.08.2026** में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर (दिनांक 20.08.2026 तक) अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाये। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते हैं तो आपके कार्यालय के समबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

DGP HQRS UP LKW

DG-IV-STHA-(600)/2026/722 DT 11-08-2026

11/8/26

(राहुल मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल,(द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–चार–स्था0–(600)/2026/722 | **दिनांकःअगस्त 11, 2026**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ के पत्र संख्याःएमजैड–एचसी–24(जॉच)–2026/4790 दिनांक 29.07.2026 के संदर्भ में ।
2. पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को निर्धारित तिथि के अन्दर स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करते हुए प्रस्थान कराये जाने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के अपने जनपद में आगमन की सूचना से सर्वसम्बंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ/पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याःडीजी–चार–स्था0(निर्देश)/2017/900 दिनांक 22.06.2017 में **प्रशासनिक स्थानान्तरण शीर्षक** के अन्तर्गत निहित निर्देशानुसार उक्त कर्मी को जनपद में आगमन करने की तिथि से 02 वर्ष के पूर्व स्थानांतरित न किया जाए।

<u>**संख्या तथा दिनांक वही**</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।